संचालनालय (चिकित्सा शिक्षा)
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
6वी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश)

विज्ञापन क्रमांक/215/स्था/राज/भर्ती पदस्थापना/संचिशि/26 भोपाल, दिनांक 18/05/2026	विभागीय वेबसाईट पर दिनांक 08/06/2026 सायं 05:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
अधिष्ठाता पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन दिनांक 18/05/2026 से दिनांक 08/06/2026 सायं 05:00 बजे तक विभाग की वेबसाईट https://medicaleducation.mp.gov.in में भर्ती टैब में जाकर भरे जा सकेंगे। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत कर दें। उपरोक्त हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी भी प्रकार से भेजे गए आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।	

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के अधीन विभिन्न शासकीय/स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु अधिष्ठाता के स्वीकृत/रिक्त पदों पर नियुक्ति, साक्षात्कार के माध्यम से करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

1. **अधिष्ठाता** के पदों पर नियुक्ति, सीधी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से करने हेतु पदों का प्रवर्गवार विवरण निम्नानुसार है -

अधिष्ठाता
वेतनमान - 144200-218200 (सातवें वेतनमान में लेवल 14)

क्र.	पदनाम	अधिष्ठाता के वर्गवार पदों की संख्या			कुल रिक्त पदों की संख्या
		UR	SC	ST	
1	अधिष्ठाता	3	-	2	5

2. उपरोक्त पद के लिए अर्हता निम्नानुसार होगी - राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30 जून 2025 "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2025" के बिन्दु 5 अनुसार होगी।

(अ) अनिवार्य अर्हतायें -

पदनाम	शैक्षणिक योगयता
अधिष्ठाता (DEAN)	1. कोई चिकित्सा संकाय किसी चिकित्सा संस्थान में प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि उसके पास किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम दस वर्ष का शिक्षण अनुभव, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव, प्रोफेसर के रूप में हो।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) नई दिल्ली के प्रचलित मापदण्डों के अनुसार समय-समय पर जारी निर्धारित अर्हता अनिवार्य अनुसार होगी।	

नोट - मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में स्नातक एवं स्नातकोतर उपाधि का स्थायी पंजीयन अथवा अन्य किसी राज्य में पंजीयन होने पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीयन अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में छानबीन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(ब) विशेष -

1. अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की उक्त अर्हताएं विज्ञापन जारी दिनांक तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अपात्र माने जाएंगे।
2. यदि अभ्यर्थि की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

3. विदेशी उपाधि धारक यदि उनकी अंकसूची में पूर्णांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख नही है तो वह अपने पूर्णांक एवं प्राप्तांक के संबंध में शपथ-पत्र भी संलग्न करें।

4. चयन सूची में यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों , तो जिस अभ्यर्थी ने आंतरिक (Internal) मेरिट प्रोरेटा में अधिक अंक प्राप्त किए हों , उसे उच्च वरीयता दी जाएगी। यदि आंतरिक मेरिट प्रोरेटा के अंक भी समान हो तो ऐसी स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में उच्च वरीयता दी जायेगी।

5. यदि आवेदन पत्र के साथ अर्हता संबंधी दस्तावेज पूर्ण रूप से संलग्न नहीं किए गये हों , तो आवेदन पत्र अमान्य माना जाएगा। अत: अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे अपने शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं शोध-पत्रों से संबंधित सभी उपलब्ध दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

6. शैक्षणिक एवं अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र केवल संस्था प्रमुख/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गऐ ही मान्य किए जाऐगें।

7. **महत्वपूर्ण** – यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि , अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

(ख) टीप :

1. शासन द्वारा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार दिवस तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
2. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।
3. केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित हैं, वही उक्त आरक्षण श्रेणियों के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र होंगे। अन्य राज्यों के मूल निवासी अभ्यर्थी , भले ही वे अपने राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आते हों, इस भर्ती में अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही माने जाएंगे।
4. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा राजपत्रित सेवा नियम , 2023 के अंतर्गत की जायेगी। नियुक्त अभ्यर्थी पर राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त, निर्देश एवं परिपत्र लागू होंगे। अभ्यर्थी की नियुक्ति, पदस्थापना तथा स्थानांतरण संबंधी समस्त अधिकार राज्य शासन के पास सुरक्षित रहेंगे।

3. आयु गणना :

3.1. अभ्यर्थी ने 01/01/2027 को 65 वर्ष की आयु पूर्ण न कर रहें हों।

3.2. आयु की गणना हेतु अभ्यर्थी की वही जन्मतिथि मान्य होगी , जो उनकी 10वीं की अंकसूची में अंकित होगी। अत: अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकसूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का सही-सही उल्लेख करें।

3.3. अधिवार्षिकी आयु - 65 वर्ष।

3.4. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में किए गए हस्ताक्षर साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा कार्यालय आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, छठवी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल के साथ होने वाले समस्त पत्र व्यवहार में समान रूप से किये गये हों।

4. ऑनलाईन आवेदन शुल्क - विभिन्न संवर्गों हेतु ऑनलाईन शुल्क निम्नानुसार है -

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु -	शेष समस्त श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु ।
रू. 1500/- (एक हजार पांच सौ रूपये मात्र)	रू. 2500/- (दो हजार पांच सौ रूपये मात्र)

5. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र, ऑनलाइन अनिवार्य रूप से अपलोड की जावें -

5.1. शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र - हाई स्कूल, हायर सेकेण्ड्री तथा उसके पश्चात की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं सहित, आवेदक द्वारा उत्तीर्ण की गई सभी परीक्षाओं के समस्त वर्षों / सेमेस्टर की अंकसूचियां एवं उपाधियों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।

5.2. संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण पत्र - यह प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

5.3. अन्य कार्य अनुभव यदि अन्य कार्य अनुभव प्रमाण पत्र हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

5.4. शोध पत्र :- समस्त रिसर्च पब्लिकेशन/स्वरचित पुस्तक अध्याय की स्व-प्रमाणित छायाप्रति।

5.5. जाति प्रमाण पत्र - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का स्थाई जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु अधिकृत हो, द्वारा जारी किया होना चाहिए। इसे आवेदन के साथ संलग्न करें।

साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र (मूल प्रति) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा तथा विभाग द्वारा इस विषय में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।

विवाहित महिलाओं के लिए उनके नाम के साथ पिता का नाम अंकित किया हुआ जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। यदि विवाहोपरांत नाम/उपनाम में परिवर्तन हुआ हो, तो संबंधित शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अन्य किसी राज्य द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। (डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।)

5.6. अनापत्ति प्रमाण पत्र - शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था/निजी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों हेतु नियोक्ता अधिकारी / सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. निर्हताऐं -:

6.1. मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम-1961 (सेवा की सामान्य शर्तें) के अन्तर्गत।

6.2. विकृत होने की स्थिति में।

6.3. दुश्चरित्र होने पर।

6.4. शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता है।

6.5. कूट रचित/फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा चयन के दौरान जानकारी छिपाने/अभिलेखों में फेरबदल कर प्रस्तुत करने अथवा मूल दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

6.6. कोई उम्मीदवार, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु ऐसा कोई भी उम्मीदवार, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात होता है और उस प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, वह किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

6.7. कोई भी उम्मीदवार, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जिन उम्मीदवारों के विरुद्ध ऐसे प्रकरण न्यायालय में लंबित हों, उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक लंबित रखा जाएगा।

6.8. कदाचरण संबंधी मामलों में किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नही किया जाएगा, जिसे शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में कदाचरण के कारण पदच्युत किया गया हो अथवा जिसे नैतिक पतन या किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया हो। यदि चयन/नियुक्ति के पश्चात ऐसे तथ्य संज्ञान में आते हैं, तो संबंधित अभ्यर्थी का नाम चयन सूची से तत्काल विलोपित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, यदि नियुक्ति आदेश जारी हो चुका हो, तो उसे यथाशीघ्र निरस्त करते हुए संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि अनुसार अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी।

6.9. यदि उम्मीदवार पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से कार्य कर रहा हो या किसी कार्य के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त हो, जिसके आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि संचालनालय (चिकित्सा शिक्षा) को उनके नियुक्ता से उनके परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्राचार होता

है तो उम्मीदवार का आवेदन पत्र अस्वीकार कर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकेगी।

7. यात्रा व्यय का भुगतान - साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का कोई यात्रा / व्यय भत देय नही होगा।

8. चयन प्रक्रिया - चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। विज्ञापित पदों के विरुद्ध पात्र अभ्यर्थियों में से प्रो-राटा अंकों के आधार पर तथा पात्र अभ्यर्थियों की उपलब्धता के अनुसार, पदों की संख्या के पाँच गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। आवश्यकता होने पर, स्क्रूटनी में प्राप्त अंकों की गुणानुक्रम सूची के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप-श्रेणियों के लिए विज्ञापित पदों की संख्या के पाँच गुना अभ्यर्थियों तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं अंतरिम प्रो-राटा अंकों के योग के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार कर घोषित की जाएगी।

8.1. साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा पत्र के अनुसार विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जाऐगी। अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट https://medicaleducation.mp.gov.in पर जाकर सूची देख सकते हैं।

8.2. प्रकाशित विज्ञप्ति/चयन प्रक्रिया में यदि कोई कम्प्यूटरजनित अथवा लिपिकीय त्रुटि, विभाग के संज्ञान में आती है, तो विभाग को प्रकाशित विज्ञप्ति/चयन प्रक्रिया में आवश्यक सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

9. विज्ञापन के संबंध में आवश्यक निर्देश :

9.1. विज्ञापन से संबंधित समस्त आवश्यक सूचनाएँ एवं साक्षात्कार के परिणाम संचालनालय (चिकित्सा शिक्षा), मध्यप्रदेश की वेबसाइट medicaleducation.mp.gov.in पर प्रकाशित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अपना सही एवं सक्रिय ई-मेल आई.डी. तथा मोबाइल नंबर निर्धारित स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करें एवं अद्यतन जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

9.2. आवेदक विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के आदान प्रदान हेतु विज्ञापन शाखा की ईमेल आई.डी. deanrecruitment.mp@gmail.com के उपयोग करें।

9.3. आवेदन पत्र भरने हेतु अन्य निर्देश/जानकारी तथा विभागीय भर्ती नियम विभागीय वेबसाईट https://medicaleducation.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेंगे।

10. अन्य आवश्यक निर्देश -

10.1. समस्त नियुक्तियां शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों / निर्णयों के अधीन रहेंगी। किसी भी कारण से यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन आयोग्य पाया जाता है, तो उनका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का नियुक्ति के संबंध में किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति स्वीकार्य की जायेगी।

10.2. किसी भी विसंगति की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

10.3. विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र एवं ऑफलाईल आवेदन पत्र मान्य नही होंगे।

10.4. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी संशोधन/निर्देशों को सम्मिलित करते हुये चयन परिणाम घोषित किया जायेगा। इस संबंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

10.5. चयन परिणाम प्रकाशित होने के उपरांत यदि कोई कंप्यूटरजनित त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है, तो विभाग को चयन परिणाम में आवश्यक सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

10.6. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की औचित्यहीन जिज्ञासाओं/अभ्यावेदनों को किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जायेगा।

11. उक्त विज्ञापन/नियुक्ति " मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा राजपत्रित सेवा नियम-**2023** " के अन्तर्गत है।

Digitally signed by
DHANARAJU SANJEEVARAYAPPA
Date: 17-05-2026 09:34:46

(धनराजू एस.)

आयुक्त

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

मध्यप्रदेश